कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ

संख्या–एम0ई0–3 / 2024 /

लखनऊःदिनांक 08 मई 2024

नीट यू0जी0 2018 (एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0) बैच के अभ्यर्थियों को अनिवार्य शासकीय सेवा बाण्ड के अन्तर्गत नॉन पी0जी0 जूनियर रेजीडेण्ट / डिमान्स्ट्रेटर / ट्यूटर के पद पर सेवायोजित किये जाने हेतु ऑनलाईन काउंसिलिंग की समय–सारिणी एवं महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश

शासनादेश संख्या–950 / 71–2–82 / 2017 दिनांक 07 मार्च 2018 (यथासंशोधित) तथा शासनादेश संख्या–। / 547828 / 2024 दिनांक 25 अप्रैल 2024 में निहित निर्देशों के क्रम में नीट यू0जी0 2018 (एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0) बैच की अन्तिम वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उनकी ऑल इण्डिया रैंक के आधार पर नॉन पी0जी0 जूनियर रेजीडेण्ट / डिमान्स्ट्रेटर / ट्यूटर के पद पर सेवायोजित किये जाने हेतु ऑनलाईन काउंसिलिंग की समय–सारिणी एवं महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश निम्नवत् है:–

क्र.स.	विवरण	तिथि	कुल दिवस
1	आर्नलाईन पंजीकरण की तिथि	दिनांक 22 मई 2024 (पूर्वान्ह 11:00 बजे) से दिनांक 28 मई 2024 (पूर्वान्ह 11:00 बजे) तक	06 दिवस
2	ऑन लाईन अभिलेखो के सत्यापन की तिथि	दिनांक 22 मई 2024 (पूर्वान्ह 11:00 बजे) से दिनांक 28 मई 2024 (अपरान्ह 5:00 बजे) तक	07 दिवस
3	पंजीकृत अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट का प्रकाशन	28 मई 2024	01 दिवस
4	ऑनलाईन च्वाइस फिलिंग की तिथि	दिनांक 29 मई 2024 (पूर्वान्ह 11:00 बजे) से दिनांक 03 जून 2024 (पूर्वान्ह 11:00 बजे) तक	05 दिवस
6	सीट आंवटन का परिणाम घोषित करने की तिथि	दिनांक 03 जून 2024	01 दिवस
7	आवंटन पत्र डाउनलोड करने तथा आवंटित कालेज में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि	दिनांक 04 जून 2024 से दिनांक 10 जून 2024 तक	07 दिवस

ऑनलाईन काउंसिलिंग हेतु महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश

- नीट यू0जी0 2018 बैच (एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0) के समस्त अर्ह अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में प्रतिभाग करना अनिवार्य है।

- ऑनलाईन काउंसिलिंग हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थियों को वेबसाईट www.dgmeonlineposting.upsdc.gov.in पर log-in करते हुए अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

- यदि पंजीकरण के समय प्रदर्शित ऑल इण्डिया रैंक में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है, तो अभ्यर्थी पंजीकरण की निर्धारित अवधि में ही व्यक्तिगत रूप से महानिदेशालय में उपस्थित होकर अथवा ई–मेल dgmesec3@gmail.com पर सुसंगत अभिलेखों सहित सूचित करेंगे। पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा।

- **काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने वाले समस्त अर्ह अभ्यर्थियों को अपनी वरीयता (Priority) के अनुसार समस्त विकल्प भरना अनिवार्य है। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन काउंसिलिंग में पंजीकरण नहीं किया जाता है या पंजीकरण के उपरान्त च्वाईस फिलिंग में प्रतिभाग नहीं किया जाता है अथवा च्वाईस**

फिलिंग में प्रतिभाग के उपरान्त सम्पूर्ण विकल्प नहीं भरा जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के उपरान्त अवशेष सीटों में से काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा कालेजों की निर्धारित वरीयता के आधार पर प्रदेश के राजकीय/स्वशासी मेडिकल कालेज/संस्थान/चिकित्सा विश्वविद्यालय में उसकी ऑल इण्डिया रैंक के आधार पर एन0आई0सी0 द्वारा मेरिट बेस्ड आवंटन प्रदान कर दिया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अभ्यर्थी का होगा।

- **समस्त अभ्यर्थियों को च्वाईस फिलिंग के उपरान्त च्वाईस लॉक करना अनिवार्य है। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन च्वाईस फिलिंग के पश्चात च्वाईस लॉक नहीं की जाती है, तो ऐसी दशा में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात च्वाईस Auto Lock कर दी जायेगी।**

- सीटों का आवंटन अभ्यर्थियों की ऑल इंडिया रैंक, अभ्यर्थी की श्रेणी एवं उनके द्वारा काउंसिलिंग में भरे गये विकल्प के आधार पर ऑनलाईन काउंसिलिंग के माध्यम से किया जायेगा।

- आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को ही देय होगा। उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

- आरक्षण से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होंगे। केन्द्रीय सेवाओं/संस्थाओं हेतु जारी आरक्षण प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

- **अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी एवं आर्थिक रूप से कमजोर (E.W.S.) श्रेणी का प्रमाण पत्र दिनांक 01.4.2023 अथवा उसके बाद का ही मान्य होगा।**

- **आरक्षण का लाभ लेने हेतु आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र पंजीकरण के समय अपलोड करना अनिवार्य है।** आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र ऑनलाईन सत्यापन के समय यदि सुसंगत नहीं पाये जाने अथवा निर्धारित प्रारूप पर न होने की दशा में सम्बन्धित अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत सीट आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।

- काउंसिलिंग के समय अथवा काउंसिलिंग के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि किसी अभ्यर्थी द्वारा भ्रामक/कूटरचित अभिलेखों के आधार पर आवंटन प्राप्त कर लिया गया है, तो उसका आवंटन निरस्त करते हुए उसके विरूद्व आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कराते हुए अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

- सीट आवंटन के समय आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी न होने की दशा में आरक्षित श्रेणी की यदि कोई सीट रिक्त रह जाती है, तो रिक्त सीटों को निम्नांकित तालिका के अनुसार आमेलित करते हुए आवंटन प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगीः-

CONVERSION ALGORITHM

S.No.	Conversion Category	Category converted to
1	ST	SC
2	SC	UR
3	OBC	UR
4	EWS	UR

➢ Merger के लिए उपलब्ध सीटों को Virtual Vacancy के रूप में प्रदर्शित किया जायेगा। Seat Against Conversion (S.A.C.) एक प्रकार की Virtual Seat है। च्वाईस फिलिंग के समय अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी की रिक्त सीटों के अतिरिक्त Seat Against Conversion (S.A.C.) में अन्य आरक्षित श्रेणी की सीटों का विकल्प भी प्रदर्शित होगा। S.A.C. में प्रदर्शित की गयी सीटें श्रेणी की समस्त रिक्त सीटों का योग है। आवंटन प्रक्रिया के समय आरक्षित श्रेणी का अर्ह अभ्यर्थी न मिलने की दशा में आरक्षित श्रेणी की सीटों को उपरोक्त तालिका के अनुसार आमेलित (Merge) करते हुए आवंटन की कार्यवाही की जाएगी।

➢ नीट यू0जी0 2018 बैच के एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम के उत्तीर्ण ऐसे अभ्यर्थी, जिनकी अनिवार्य रोटेटरी इण्टर्नशिप उक्त समय–सारिणी घोषित होने की तिथि तक पूर्ण नहीं हो पायी है, ऐसे अभ्यर्थियों का आवंटन औपबन्धिक (Provisional) माना जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी अनिवार्य शासकीय सेवा बाण्ड के अन्तर्गत आवंटित मेडिकल कालेज/संस्थान/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में अपनी योगदान आख्या उक्त इण्टर्नशिप पूर्ण होने के 07 दिनों के भीतर प्रस्तुत करेंगे।

➢ अद्यतन सूचनाओं हेतु वेबसाइट dgmeonlineposting.upsdc.gov.in तथा www.dgme.up.gov.in का निरन्तर अवलोकन करते रहें।

Help Line Numbers
8189011696, 8189011697, 8189011698, 8189011699, 8189011700

महानिदेशक।

संख्याः एम0ई0–3/2024/ 920 तद्दिनांक/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–चार।
2. समस्त सदस्य, काउंसिलिंग बोर्ड।
3. कुलसचिव, के0जी0एम0यू0/यू0पी0यू0एम0एस0, सैफई/डा0 मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ/राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा/पी0जी0आई0सी0एच0, नोएडा/सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ/प्रधानाचार्य समस्त राजकीय/स्वशासी मेडिकल कालेज, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को नोटिस बोर्ड एवं कालेज की बेवसाईट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करे।
4. नोडल अधिकारी (अभिलेखों का सत्यापन), के0जी0एम0यू0/यू0पी0यू0एम0एस0, सैफई/डा0 मनोहर लोहिया, आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ/मेडिकल कालेज, कानपुर/आगरा/प्रयागराज/मेरठ/झाँसी/गोरखपुर/अम्बेडकरनगर/कन्नौज/जालौन/आजमगढ/सहारनपुर/बाँदा।
5. निदेशक, एन0आई0सी0.योजना भवन, लखनऊ/यू0पी0एस0डी0सी0, लखनऊ।
6. शिविर सहायक, महानिदेशक कैम्प, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ, उ0प्र0।

महानिदेशक।